128

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना एवं सामाजिक अंकेक्षण पर हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलान्ज, शिमला-171012 द्वारा मण्डी में प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(दिनांक 22.10.2007 से 27.10.2007)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला ने सर्वप्रथम जिला चम्बा में ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम को कारगर बनाने की एक पहल की है । इस पहल को आगे बढ़ाते हुए संस्थान द्वारा जिला चम्बा के कार्यक्रम के अनुभवों के आधार पर जिला मण्डी में भी इसी प्रकार का एक और कार्यक्रम का आयोजन 22.10.2007 से 27.10.2007 तक किया गया ।

जिला मण्डी में यह योजना 1 अप्रैल 2007 को लागू हुई है। योजना के प्रभावी कार्यन्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना और सामाजिक अंकेक्षण पर ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' कार्यक्रम दिनांक 22.11.07 से 27.11.2007 तक आयोजित किया गया ।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 60 पंचायतीराज एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना एवं सामाजिक अंकेक्षण पर जानकारी दी गई ।

कार्यक्रम के प्रथम दो दिन योजना के प्रावधानों, दिशा निर्देशों एवं सामाजिक अंकेक्षण की धारणा के अध्ययन पर केन्द्रित थे । जिसमें हि0 प्र0 लोक प्रशासन संस्थान द्वारा नियुक्त प्रशिक्षकों तथा प्रतिभागियों के बीच गहन चर्चा तथा विचारों का आदान प्रदान हुआ । इसके उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को दो दलों में बांट कर तीन दिनों के लिए सामाजिक अंकेक्षण हेतु विकास खण्ड सुन्दरनगर की जयदेवी पंचायत तथा विकास खण्ड सदर की झीड़ी ग्राम पंचायत में भेजा गया।

उद्देश्य

1. प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम के प्रावधानों एवं सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया से अवगत करवाना ।
2. ग्राम सभा के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण और ग्राम सभा की महत्ता के बारे में जागरूक करना ।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी एवं सुचारू रूप से लागू करना ।
4. प्रशिक्षणार्थियों को भविष्य में प्रशिक्षकों के तौर पर कार्य करने हेतु आवश्यक जानकारी व प्रशिक्षण तकनीकों से अवगत करवाना ।

अध्ययन पद्धतिः

ग्राम पंचायत जयदेवी के कुल 7 वार्डो तथा झीड़ी के 5 वार्डो में क्रमशः 646 परिवार तथा 346 परिवार है । ग्राम पंचायत जयदेवी के 722 (एकल परिवार) परिवार तथा ग्राम पंचायत झीडी के केवल 182 परिवार ही इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हुए हैं । योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जैदेवी में 36 कार्यो पर काम चल रहा था । उनमें से 21 कार्य पूर्ण हो चुके थे तथा 15 कार्य प्रगति पर थे। ग्राम पंचायत झीड़ी

में भी 8 कार्यों पर कार्य चल रहा था उसमें से तीन कार्य पूर्ण हो चुके थे तथा 5 कार्य प्रगति पर थे । कार्यों का विवरण अनुबन्ध "क" तथा "ख" में संलग्न किया गया है ।

सामाजिक अंकक्षेण की प्रकिया को पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों के जो दो दल इन पंचायतों में भेजे गये थे उन्हें तीन-तीन समूहों में बांट दिया गया जो कि निम्नलिखित है । दोनों टीमों ने कुल 7 कार्यों की जांच की ।

1. जागरूकता समूहः

आम जनता को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, सामाजिक अंकेक्षण तथा ग्राम सभा की महत्ता के बारे में जानकारी देनी थी । साथ ही उन्होंने सभी ग्राम सभा सदस्यों को 26.10.2007 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था ।

2. अभिलेख सत्यापन समूहः

इस समूह को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर, पत्र, मस्ट्ररोल व दस्तावेजों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था ।

3. भौतिक सत्यापन समूहः

इस समूह को कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई परिसम्पतियों की जांच तथा गुणवता के स्तर का अध्ययन करना था ।

इन टीमों द्वारा दो दिन तक दोनों पंचायतों के विभिन्न वार्डो का दौरा किया गया और दिनांक 26.10.2007 को अपनी-2 विस्तृत रिपोर्ट ग्राम सभा, ग्राम

पंचायत जयदेवी व ग्राम सभा, ग्राम पंचायत झीड़ी की विशेष आहूत बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई।

सामाजिक अंकेक्षण प्रकिया के दौरान सामने आये तथ्यः-

क. ग्राम पंचायत कार्यालय में रिकार्डो का रख-रखाव एवं प्रबन्धन

1. सामाजिक अंकेक्षण की प्रकिया के दौरान दोनों ही पंचायतों, झीड़ी व जयदेवी में पाया गया कि पंचायत कार्यालय में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के संदर्भ में एक्ट, मार्गदर्शिका एवं स्कीम की प्रति उपलब्ध नहीं थी।
2. सामजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान यह भी पाया गया कि दोनों ग्राम पंचायतों में केवल दो या तीन रजिस्टर ही रखे गये हैं । जबकि योजना के अनुसार ग्राम पंचायत को न्यूनतम पांच रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य है। पुछ-ताछ करने पर सम्बन्धित प्रधानों ने बताया कि उन्हें न तो इस सम्बन्ध में जानकारी है ओर न ही उन्हें पांच रजिस्टर उपलब्ध करवाये गये हैं ।
3. जो भी रजिस्टर ग्राम पंचायत रख रही थी उनका रख रखाव भी अधूरा था। यह पाया गया कि न ही श्रमिकों के फोटो पूर्ण रूप से लगे थे न ही हस्ताक्षर थे और रोजगार सम्बन्धी प्रविष्टियां भी पूर्ण रूप से नही की गई थी।
4. सामाजिक अध्ययन/अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत कार्यालयों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत स्थाई सूचना पट्ट नहीं लगे थे ।
5. ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्टेशनरी का अभाव भी देखा गया। जिसके फलस्वरूप उन्हें रिकार्ड के रख-रखाव में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

ख. पंजीकरण एवं जॉब कार्डः-

1. ग्राम पंचायत जयदेवी में इस योजना के अन्तर्गत कुल 722 परिवार पंजीकृत हुए तथा सभी को जॉब कार्ड भी दिये गये हैं ।
2. ग्राम पंचायत झीड़ी में कुल 346 परिवार है यहां पर 182 परिवार इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हुए तथा 103 को जॉब कार्ड दे दिये गये हैं ।
3. दोनों पंचायतों में पाया गया कि जॉब कार्ड लाभार्थी के पास न हो कर पंचायत कार्यालय, पंचायत प्रधान या वार्ड सदस्य के पास रखे थे । हालांकि जो कार्य प्रगति पर थे वहां पर सभी जॉबकार्ड कार्यस्थल पर इक्ट्ठे पाये गये।
4. अध्ययन के दौरान पाया गया कि कुछ जॉब कार्डो पर रोजगार सम्बन्धित प्रविष्ठियां नहीं की गई थी और लाभार्थियों के हस्ताक्षर भी नहीं थे ।
5. झीड़ी पंचायत में नियमों के विपरीत वार्ड सदस्य के परिवार के पास दो जॉब कार्डो का मामला सामने आया ।

ग. कार्यो का नियोजन एवं स्वीकृति

1. ग्राम पंचायत जयदेवी की ग्राम सभा द्वारा 183 वार्षिक कार्यो की सूची तैयार की गई थी। जिसमें से 36 कार्यो को प्रथम चरण के लिए चयनित किया गया। इनमें से 15 कार्य पूर्ण हो चुके है और 21 कार्य प्रगति पर हैं । कार्यो का विवरण अनुबन्ध "क" में संलग्न है ।
2. ग्राम पंचायत झीड़ी में पाया गया कि कुल 33 कार्यो को ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति दी गई थी। जिसमें से कि 27 कार्य इस वर्ष की वार्षिक योजना में सम्मिलित किये गये हैं । प्रथम चरण के 8 कार्यो में से 3 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 5 कार्य प्रगति पर हैं । कार्यो का विवरण को अनुबन्ध "ख" में संलग्न है ।

3. कार्यों की स्वीकृति के संदर्भ में ग्राम पंचायत के पास कोई भी दस्तावेज नहीं हैं। जांच करने पर पाया गया कि स्वीकृति पत्र अभी तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जारी नहीं किये गये हैं ।

4. जयदेवी ग्राम पंचायत को इस योजना के अन्तर्गत कुल 34,02,080/- रूपये की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से कि 31,20,156/- रूपये खर्च किये जा चुके थे ।

5. झीड़ी ग्राम पंचायत को इस योजना के अन्तर्गत कुल 17,41,007 रूपये की राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से कि 10,51,000/- रूपये खर्च किये जा चुके हैं।

6. दोनों ही पंचायतों में वार्षिक योजना तो बनाई गई थी लेकिन अभी तक परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनी थी ।

घ. मजदूरी का भुगतानः

1. मजदूरी का भुगतान पूर्णतः नकद रूप में किया जा रहा था ।

2. मजदूरों से बातचीत उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा रहा है ।

3. अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ज्यादातर मामलों में भुगतान की गई राशि का मस्टर रोल से सही मिलान पाया गया ।

4. विशेषतः ग्राम पंचायत झीड़ी में यह तथ्य सामने आया कि लोगों (मजदूरों) ने अपने कार्य के वित्तीय वर्ष के 100 दिन पूर्ण होने की बात स्वीकारी जबकि मस्टर रोल सत्यापन उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि उन मजदूरों ने केवल 70-90 दिन ही काम किया था ।

ङ परिसम्पतियों का निरीक्षण

1. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अर्न्तगत ज्यादातर निर्मित परिसम्पतियों की गुणवता संतोषजनक थी ।

2. कुछ परिसम्पतियों का निर्माण अनावश्यक रूप से किया गया था जैसे कि ग्राम पंचायत जयदेवी के वार्ड संख्या 2 में चैकडैम का निर्माण आदि जिसका सीधे तौर पर स्थानीय जनता को कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा था।

3. परिसम्पतियों के निर्माण में तकनीकी कमी व लापरवाही किए जाने की बात कुछ तथ्यों से स्पष्ट हुई है जैसे कि धर्मी गांव में वर्षा जल संग्रहण हेतु कुफर (**Pond**) का निर्माण, परन्तु सीमेंन्ट कार्य में निर्माण पश्चात सही रूप से पानी न दिये जाने से इसकी गुणवता पर असर हुआ है । पक्का रास्ता इदली से दूब गलू में तकनीकी नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप परिसम्पति टिकाऊ नहीं होगी तथा समुदाय उचित लाभ से वंचित रहेगा ।

4. कार्यो के निर्माण के दौरान किसी प्रकार की निरीक्षण एवं निगरानी की व्यवस्था का अभाव देखा गया ।

च. कार्यस्थल सम्बन्धित तथ्यः-

1. योजना के अन्तर्गत बनाई गई/बनाई जा रही परिसम्पतियों पर स्थाई सूचनापट्ट नहीं पाए गये ।

2. कार्यस्थलों पर छाया व्यवस्था का कोई प्रबन्ध नहीं था ।

3. जो कार्य प्रगति पर थे वहां पर लगभग 90 प्रतिशत महिला श्रमिक कार्य करती देखी गई ।

4. अपंग व वृद्ध लोग भी कार्य कर रहे थे ।

5. दोनों ही पंचायतों में मजदूरों के पास औजारों की कमी पाई गई ।

6. ग्राम पंचायतों की पास पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक उपचार पेटिका नहीं थी केवल एक या दो पेटिका ही प्रत्येक पंचायत के पास देखी गई ।

7. कार्य स्थलों पर पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था पंचायतों द्वारा नहीं की गई थी अपितू मजदूरों द्वारा पारम्परिक वर्तनों (घड़ों) में स्वयं पीने का पानी कार्यस्थलों पर रखा गया था ।

छ. सामुदायिक जागरूकताः

1. लोगों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में पूर्ण जानकारी का अभाव था ।

2. स्थानीय लोगों की जानकारी का मुख्य स्त्रोत पंचायत प्रधान या वार्ड सदस्य ही थे ।

3. यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत प्रधान व वार्ड सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। जिसके कारण उनको स्वयं भी योजना एवं नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं थी ।

4. दोनों ही ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा के दौरान बहुत अधिक लोग सभा में उपस्थित थे। जिससे कि प्रशिक्षण टीम द्वारा उनका **mobilization** के लिए किया गया प्रयत्न दृष्टिगोचर हो रहा था ।

5. बैठक में उपस्थिति से कार्यक्रम के प्रति आम जनता का उत्साह भी परिलक्षित होता है।

ज. कार्यान्वयन संस्था (PRIs) का पक्षः-

1. ग्राम पंचायत प्रधान व वार्ड सदस्यों के अनुसार प्रशासन द्वारा उनको यथा उचित व अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जा रहा है ।

2. ग्राम पंचायत जयदेवी में प्रधान ने खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनावश्यक तौर पर हलफनामें (**Affidavits**) तैयार करवाने की समस्या बताई ।

3. प्रधान के अनुसार पैसे को दूर की बैंक शाखा से प्राप्त करने में मुश्किल आ रही थी ।

4. फुटकर निधि **(Contingency Fund)** समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है ।

5. ग्राम पंचायत प्रधानों के अनुसार कामों की प्रगति (**Progress**) नहीं निकल रही है । इसका कारण अधिक वृद्ध व महिला मजदूरों का होना पाया गया है ।

6. कार्यो का अधिक बोझ व कर्मचारियों की कमी होने से सभी कार्यो का निरीक्षण कर पाना मुश्किल प्रतीत हो रहा था ।

झ. अन्य तथ्यः

1. ग्राम पंचायत जयदेवी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत काम करते समय साजू राम (एक मजदूर) की दांई बाजू टूट गई उसको किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग प्रदान नहीं किया गया ।

2. ग्राम पंचायत जयदेवी में सतर्कता कमेटी नहीं बनाई गई थी जबकि झीड़ी पंचायत में सतर्कता कमेटी **(VMC)** तो बनी थी परन्तु वह निष्क्रिय थी

3. ग्राम पंचायत स्तर पर जानकारी का इतना अभाव है कि एक पंचायत झीड़ी में छः दिन के काम उपरान्त वैतनिक अवकाश **P/H (Paid Holiday)** प्रदान किया जा रहा था जबकि दूसरी पंचायत जयदेवी में यह नहीं दिया जा रहा था ।

4. ग्राम पंचायत जयदेवी में एक मामला सामने आया जिसमें यह पता चला कि श्रमिकों ने कार्य कहीं दूसरी जगह किया था जबकि मस्टर रोल में किसी दूसरे काम

को दर्शाया गया था । जिसका कारण मस्टरोल का कार्यस्थल पर न भरा जाना प्रतीत हुआ ।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्राम पंचायत जयदेवी में संम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग कर रही है क्योकि यह देखा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को जो मजदूरी मिलती है उससे **Sanitary Latrine Sheet** क्रय करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह एक अत्यन्त उत्साहवर्धक तथ्य है ।

6. प्रधान ग्राम पंचायत जयदेवी द्वारा यह भी ध्यान में लाया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम से पहले ज्यादातर लोग मजदूरी के लिए सुन्दरनगर, नैरचौक या मण्डी बाजार में काम के लिये जाते थे । लेकिन इस कार्यक्रम के आने से विस्थापन प्रक्रिया पर काफी हद तक अंकुश लगा है ।

7. दोनों पंचायतों में जो कार्य चले हुए थे उनकी निगरानी का कोई प्रावधान नहीं था केवल वार्ड मैम्बर, प्रधान व उप-प्रधान ही समय मिलने पर कार्यों की निगरानी करते हैं । फलस्वरूप मजदूरों में कार्य के प्रति निष्ठा की कमी भी देखने को मिली।

8. डी.आर.डी.ए. से पंचायतों को कोई भी स्वीकृति प्रत्र नहीं मिले हैं जबकि पंचायतों को कार्य शुरू करने के लिए धन उपलब्ध करवा दिया गया है और कार्य करने के लिए मौखिक रूप से ही कहा गया था ।

9. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की मांग आधारित कार्यक्रम न हो कर एक आपूर्ति आधारित कार्यक्रम ही बन गया हे क्योंकि लोगों में जानकारी का अभाव है । पंचायत के कहने पर ही लोग काम के लिए आते हैं ।

निष्कर्ष

मण्डी जिले में ग्रामीण विकास व पंचायती राज से सम्बन्धित कर्मचारी व प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण विषय पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जो कि एक सफल प्रयोग साबित हुआ। इस कार्यक्रम के संतोषजनक परिणाम सामने आये है । इसका आकलन निम्न बिन्दुओं से किया जा सकता हैः-

- प्रतिभागी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से सम्बन्धित शंकाओं और जिज्ञासाओं से ओतप्रोत हो कर इस कार्यक्रम में आए और काफी हद तक संतुष्ट हो कर गए ।
- प्रतिभागियों को अपने-2 क्षेत्र की व्यवहारिक समस्याओं का सम्बन्धित कर्मचारियों व पदाधिकारियों के साथ चर्चा करके तुरन्त समाधान सुझाया गया।
- प्रतिभागियों के मुल्यांकन प्रपत्र पढ़ कर ज्ञात हुआ कि वे कार्यक्रम से काफी लाभान्वित हुए तथा एक सफल प्रशिक्षक बनने की ईच्छा रखते हैं ।
- ग्रामीण समुदाय में योजना के प्रति स्वीकार्यता तथा उत्साह का भाव देखने को मिला । परन्तु खण्ड तथा पंचायत स्तर पर योजना को लागू करने वाले कर्मचारियों व लाभार्थियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है ।
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के साथ-2 परिसम्पतियों का भी निर्माण हुआ जो कि गरीबी उन्मूलन के साथ-2 क्षेत्र को विकास की गति प्रदान कर रहा है।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के ही फलस्वरूप दोनों ग्राम पंचायतों में सफलता पूर्वक दो ग्राम सभायें आयोजित की गई ।

6. सुझाव

- **जिला स्तर/ खण्ड स्तर एवं पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए ।**

- **ग्राम पंचायत कार्यालयों में** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना से सम्बन्धित मार्गदर्शिकाएं/एक्ट एवं स्कीम की प्रतियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएं ।

- ग्राम पंचायतों को समय पर व प्रर्याप्त मात्रा में फुटकर निधि का आवंटन होना चाहिए। ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन में आ रही विभिन्न कठिनाईयों जैसे लेखन सामग्री का अभाव, औजारों व प्राथमिक चिकित्सा पेटिका, कार्यस्थल पर आराम करने का प्रबन्ध इत्यादि कमियों को पूरा किया जा सके ।

- ग्रामीण सर्तकता एवं अनुश्रवण समितियों (**VMCs**) का गठन शीध्राति–शीघ्र किया जाना चाहिए ताकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही गिरावट एवं गुणवत्ता सम्बन्धी कमियों को दूर किया जा सके व सामाजिक अंकेक्षण सम्बन्धी प्रक्रिया को प्रभावी रूप से अपनाया जा सके ।

- ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश को कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कदम उठाने चाहिए । जिनका की राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी में भी प्रावधान है ।